मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल - 462 016

फोन नं. 0755.2430154, 2464643, फैक्स न. 2981055

ई-मेल - secmperc@sancharnet.in, वेबसाइट- www.mperc..in

क्रमांकः एम.पी.ई.आर.सी./2019/ 775 भोपाल, दिनांकः 31.05.2019

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 08/2019)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी–35 (II) वर्ष 2015) दिनांक 17 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया । आयोग द्वारा इन विनियम में प्रथम संशोधन किया गया जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 07.12.2018 को प्रकाशित हुआ।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर (जिन्हें ''याचिकाकर्ता'' उल्लेखित किया गया है), मध्य प्रदेश राज्य शासन की पूर्ण स्वमित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है एवं इसके द्वारा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ दिनांक 05 जून 2012 को प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों बाबत् अनुबंध किया गया है।

उपर्युक्त याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 के सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की मंजूरी और अनुमोदन के लिए एक यचिका दिनांक 30.1.2019 को दायर की थी, जो कि अपूर्ण एवं कई पैमानों पर कम पाई गयी। अतः याचिकाकर्ताओं को व्यापक एवं पूर्ण याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अनेक बार समय चाहा गया । अंततः पुनरीक्षित याचिका उनके द्वारा दिनांक 27.5.2019 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

आयोग द्वारा दिनांक 28.5.2019 को टैरिफ प्रस्ताव याचिका पर सुनवाई की गई एवं याचिका को आगे विचारविमर्श के लिए स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर का संक्षिप्त सारांश नीचे तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता –

(सभी आँकड़े करोड़ रुपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र कम्पनी	मध्य क्षेत्र कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र कम्पनी	म.प्र राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स-बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पॉ.मै.कं. की लागत सहित)	7,107	6,201	9,084	22,392
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	469	530	533	1,532
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार (राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित)	812	865	1,041	2,719
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	183	234	165	581
कर्मचारी व्यय	1,239	1,231	1,376	3,847
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामक आयोग की फीस सहित)	209	122	174	505
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एबं सँदिग्ध ऋण)	2	2	2	6

(सभी आँकड़े करोड़ रुपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र कम्पनी	मध्य क्षेत्र कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र कम्पनी	म.प्र राज्य
अवमूल्यन एवं सम्बन्धित दायित्व	358	381	340	1,078
ब्याज एवं वित्त प्रभार	152	128	170	451
पूँजी पर प्रतिलाभ	265	333	225	823
सकल राजस्व आवश्यकता	**10,796**	**10,028**	**13,110**	**33,934**
घटायें अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	103	66	71	240
शुद्ध राजस्व आवश्यकता	**10,693**	**9,962**	**13,039**	**33,693**
म.प्र. पॉवर ट्रॉंसको के वि.वर्ष 2016-17 की सत्यापन याचिका का प्रभाव	21	20	25	67
म.प्र. पॉवर जेनको के वि.वर्ष 2016-17 की सत्यापन याचिका का प्रभाव	144	154	185	483
म.प्र. डिस्काम के वि.वर्ष 2013-14 की सत्यापन याचिका का प्रभाव	1,056	1,509	1,354	3,919
कुल राजस्व आवश्यकता सत्यापन याचिका सहित (अ)	11,914	11,644	14,604	38,163
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	10,656	10,348	13,061	34,065
कुल राजस्व अंतर (सत्यापन याचिका सहित) (अ–ब)	1,259	1,296	1,542	4,098
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	11,914	11,644	14,604	38,163
प्रस्तावित दरों पर अंतर	-	-	-	-

याचिका कर्ताओं द्वारा रु 4098 करोड के राजस्व अंतर की वसूली वित्तीय वर्ष 2019.20 की पुनरीक्षित दरों के माध्यम से करने का प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष 2019.20 के राजस्व अन्तर रूपये 4098 करोड की भरपाई करने हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दर-श्रेणीवार औसत वृद्धि निम्नानुसार है:-

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त आय	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि. यूनिट	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	प्रतिशत में
एल.व्ही-1	घरेलू	15707	9577	10727	1150	12.01%
एल.व्ही-2	गैर-घरेलू	3437	2899	3214	314	10.85%
एल.व्ही-3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	1315	775	866	91	11.79%
एल.व्ही-4	निम्नदाब उद्योग	1451	1186	1327	141	11.88%
एल.व्ही-5	कृषि पम्प	21337	11007	12308	1301	11.82%
एल.व्ही-6	ई.व्ही. चार्जिंग	3	2	2	0	0.00%
	योग (निम्नदाब)	**43250**	**25445**	**28443**	**2997**	**11.78%**
एच.व्ही-1	रेल्वे कर्षण	111	54	54	0	0.00%
एच.व्ही-2	कोयला खदाने	495	390	442	52	13.36%
एच.व्ही-3.1	औद्योगिक	7104	4994	5637	643	12.88%
एच.व्ही-3.2	गैर औद्योगिक	1145	861	972	111	12.88%
एच.व्ही-3.3	शॉपिंग मॉल	104	81	91	10	12.93%
एच.व्ही-3.4	गहन पावर उद्योग	2112	1256	1418	162	12.87%
एच.व्ही-4	मौसमी	23	20	22	2	10.77%
एच.व्ही-5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवँ कृषि संबंधित अन्य उपयोग	1103	648	732	84	12.99%

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त आय	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि. यूनिट	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	प्रतिशत में
एच.व्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	457	288	324	35	12.29%
एच.व्ही-7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	22	22	23	0	1.49%
एच.व्ही-8	एच.टी ई.व्ही. चार्जिंग	9	6	6	0	0.00%
	योग (उच्चदाब)	**12686**	**8620**	**9720**	**1100**	**12.77%**
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	**55936**	**34065**	**38163**	**4098**	**12.03%**

उपरोक्त प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा टैरिफ की संरचना में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किया गया जो कि याचिका के अंतर्गत विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है । मुख्य परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

1 घरेलू –

अ शहरी और ग्रामीण टैरिफ में अंतर को दूर कर शहरी एवं ग्रामीण टैरिफ को एक समान किया गया।

ब 500 वाट तक के घरेलू अमीटरीकृत श्रेणी में स्लेब को युक्तियुक्त किया गया तथा सभी अमीटरीकृत संयोजनों के लिए एकल घरेलू श्रेणी की गई।

2 गैर घरेलू श्रेणी– एलवी 2.1 एवं एलवी 2.2 टैरिफ अनुसूची को विलय कर युक्तियुक्त किया गया।

3 मौजूदा एलवी 3 के अंतर्गत सार्वजनिक जलप्रदाय एवं पथप्रकाश श्रेणी का विलय किया गया।

4 मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले फीडरों के लिए छूट समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया।

5 निम्नदाब टैरिफ में सभी श्रेणी के लिए लागू सामान्य शुल्क की 1.25 गुना पर अस्थाई आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है।

6 शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान छूट देयक का (सब्सिडी छोड़ कर) जो कि 0.25 प्रतिशत है, से बढ़ाकर 0.50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया।

7 पावर फैक्टर इंसेंटिव की रेंज 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक अलग–अलग पावर फैक्टर में घटाकर तीन स्लैब क्रमशः 2 प्रतिशत (85.1 प्रतिशत – 90 प्रतिशत), 3.5 प्रतिशत (90.01 प्रतिशत से 95 प्रतिशत) और 7 प्रतिशत (95. 01 प्रतिशत से 100 प्रतिशत) का प्रस्ताव किया गया है।

8 वेल्डिंग अधिभार को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां अथवा टीप अथवा सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक 23.06.2019 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियों/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई-मेल (secmperc@sancharnet.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती हैं जिनकी मूल प्रतियां दिनांक 23.06.2019 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 23.06.2019 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी अथवा हिंदी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 01.06.2019 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. लि., ब्लॉक न. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., ब्लॉक न. 7, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., पोलोग्राउन्ड,

इन्दौर, अथवा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए रू. 1000/- के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट (देय डी.जी.एम. (एकाउन्ट)एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर, अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र. पूर्व वि.वि.कं.लि., जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड इन्दौर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. गोविन्दपुरा भोपाल क्रमशः) के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की संक्षेपिका नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in, www.mpwz.co.in एवं www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

आयोग के आदेशानुसार

सचिव